ांक : राजस्व/कोर्ट/2021/52/2021 दिनांक: 07.07.[illegible]

हसीलदार
ाण्डलगढ़

विषयः पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. हीरालाल पिता हजारी तेली निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

बनाम

1. ईसब पिता करीमबक्ष जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. भूरालाल पिता काशी जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. अब्दूल रहमान पिता करीमबक्ष जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. अब्दूलगनी पिता इस्मइल जाति जयपुरिया लौहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की सरहद में स्थित खाता संख्या 1189 की आराजी संख्या 1434 कुल किता 1 रकबा 0.3237 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/– रूपये** तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़